न्यायालय संभागीय आयुक्त कोटा संभाग कोटा
(निर्णय बईजलास एल.एन.सोनी आई0ए0एस0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)
प्रकरण संख्याः 7/2020/अपील/आर्म्स एक्ट/बूंदी
दायरा दिनांकः 6.1.2020
अन्तर्गत धाराः 18 आर्म्स एक्ट,1959

उनवान

दिनेश कुमार सुवालका आत्मज मूलचंद जाति सुवालका निवासी इन्द्रगढ तहसील इन्द्रगढ जिला बूंदी।
...अपीलार्थी

बनाम

राज0 सरकार जरिये जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, बूंदी।
... रेस्पोडेन्ट

उपस्थित : श्री घनश्याम नागर अभिभाषक अपीलार्थी
श्री हरिश शर्मा राजकीय अभिभाषक रेस्पो0

:::निर्णय:::

दिनांक 3.2.2020

अपीलार्थी ने न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट बूंदी (संक्षेप मे अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा पारित आदेश संख्या–325 दिनांक 20.6.2019 (संक्षेप मे अपीलाधीन निर्णय) से अप्रसन्न होकर यह अपील आर्म्स एक्ट, 1959 की धारा 18 के अन्तर्गत इस न्यायालय मे पेश की गई।

1. अपील के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा धारित शस्त्र अनुज्ञापत्र संख्या 1274 को आगामी अवधि के लिये नवीनीकरण हेतु प्रस्तुत किये जाने पर जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट बूंदी द्वारा नवीनीकरण के संबध मे पुलिस अधीक्षक बूंदी से प्राप्त रिपोर्ट कमांक 1477 दिनांक 25.2.2019 अनुसार अपीलार्थी के विरूद्ध दर्ज आपराधिक मुक0 67/90 धारा 332, 353 आईपीसी मे न्यायालय द्वारा दिनांक 9.11. 92 को एक वर्ष के लिये नेकचलन हेतु दो हजार रूपये के जमानत मुचलके पर छोडे जाने/दण्डित किये जाने से उक्त प्रकरण गम्भीर प्रकृति का होने के कारण लोक शांति एवं कानून व्यवस्था की दृष्टि से लाईसेन्स नवीनीकरण किया जाना उचित प्रतीत नही होने से आदेश दिनांक 20.6.2019 से शस्त्र अनुज्ञापत्र तत्काल प्रभाव से निरस्त किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा अपील आर्म्स एक्ट की धारा 18 अन्तर्गत अपील न्यायालय हाजा मे पेश कर निवेदन किया कि उक्त विवेचित प्रकरण के बाद अपीलार्थी को वर्ष 1999 मे 32 बोर रिवाल्वर का शस्त्र अनुज्ञापत्र जारी किया गया है उसके बाद से अपीलार्थी के विरूद्ध कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज नही है। वर्ष 1999 से लगातार लाईसेन्स नवीनीकरण किया जाता रहा है। अपीलार्थी को आत्मसुरक्षा हेतु लाईसेन्स की आवश्यकता है ऐसी स्थिति मे अधीनस्थ न्यायालय ने मुकदमा नम्बर 67/90 वर्ष 1990–92 के आधार अपीलार्थी का लाईसेन्स निरस्त करने मे त्रुटि की है जबकि उक्त वर्णित प्रकरण से अपीलार्थी के लाइसेन्स का कोई संबध नही है। अपीलार्थी द्वारा आर्म्स एक्ट की शर्तो की पूर्ण पालना की जा रही है। अतः जेरअपील आदेश संख्या–325 दिनांक 20.6.2019 निरस्त किया जावे तथा लाईसेन्स नवीनीकरण की आज्ञा प्रदान की जावे।

2. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये सम्मन आहूत किया गया तथा प्रकरण मे बहस अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पो0 राजकीय अभिभाषक सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील मे उल्लेखित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि जेरअपील आदेश मे विवेचित मुकदमा नम्बर 67/90 के बाद अपीलार्थी को 32 बोर रिवाल्वर का लाईसेन्स जारी किया गया था। उसके बाद से अपीलार्थी के विरूद्ध कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज नही है। वर्ष 1999 से लगातार लाईसेन्स नवीनीकरण किया जाता रहा है। उक्त वर्णित प्रकरण से अपीलार्थी के लाइसेन्स का कोई संबध नही है। बहस

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा

मे आगे बताया कि अपीलार्थी सरकारी सेवामे मे कनिष्ठ तकनीकी सहायक के रूप मे कार्यरत है। अपीलार्थी को आत्मसुरक्षा हेतु लाईसेन्स की आवश्यकता है ऐसी स्थिति मे अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी का लाईसेन्स निरस्त करने मे त्रुटि की है। अतः जेरअपील आदेश निरस्त किया जावे तथा लाईसेन्स नवीनीकरण की आज्ञा प्रदान की जावे।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक रेस्पो0 ने बहस मे अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय न्यायोचित होना प्रकट करते हुये अपील खारिज करने का अनुरोध किया।

5. हमने अपील एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख का आध्योपांत अवलोकन कर बहस विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी एवं रेस्पो0 राजकीय अभिभाषक पर मनन किया। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील मियाद बाहर है। विलम्ब अवधि क्षम्य हेतु प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम का तथा स्वयं का शपथ पत्र पेश किया है। शपथ पत्र मे वर्णित तथ्यों का रेस्पो0 राजकीय अधिवक्ता द्वारा खण्डन नही किया गया तथा ना ही खण्डन मे कोई साक्ष्य सबूत पेश किये गये ऐसी स्थिति मे अपीलांट द्वारा शपथ पत्र मे उल्लेखित तथ्यों को अविश्वसनीय माने जाने का पत्रावली मे कोई आधार अभिलेख उपलब्ध नही है लिहाजा न्यायहित मे अपील पेश करने मे हुई देरी सद्भाविक होने से क्षम्य की जाकर अपील को अवधि मध्य माना जाता है।

6. पत्रावली का गुणावगुण के आधार पर अवलोकन किया गया। पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख व जेरअपील निर्णय के अवलोकन से प्रकट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी द्वारा धारित शस्त्र अनुज्ञापत्र संख्या 1274 को आगामी अवधि के लिये नवीनीकरण हेतु प्रस्तुत किये जाने पर नवीनीकरण के संबध मे पुलिस अधीक्षक बूंदी से प्राप्त रिपोर्ट कमांक 1477 दिनांक 25.2.2019 अनुसार अपीलार्थी के विरूद्ध दर्ज आपराधिक मुक0 67/90 धारा 332, 353 आईपीसी मे न्यायालय द्वारा दिनांक 9.11.92 को एक वर्ष के लिये नेकचलन हेतु दो हजार रूपये के जमानत मुचलके पर छोडे जाने/दण्डित किये जाने से उक्त प्रकरण गम्भीर प्रकृति का होने के कारण लोक शांति एवं कानून व्यवस्था की दृष्टि से लाईसेन्स नवीनीकरण किया जाना उचित प्रतीत नही होने से आदेश कमांक–325 दिनांक 20.6.2019 से शस्त्र अनुज्ञापत्र तत्काल प्रभाव से निरस्त किया गया। प्रश्नगत प्रकरण मे अपीलार्थी का मुख्य तर्क है कि मुकदमा सं0 67/90 के बाद अपीलार्थी को वर्ष 1999 मे 32 बोर रिवाल्वर का शस्त्र अनुज्ञापत्र जारी किया गया है उसके बाद से अपीलार्थी के विरूद्ध कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज नही है। वर्ष 1999 से लगातार लाईसेन्स नवीनीकरण किया जाता रहा है। अपीलार्थी सरकारी सेवामे तकनीकी सहायक के रूप मे कार्यरत है अपीलार्थी को आत्मसुरक्षा हेतु लाईसेन्स की आवश्यकता है। अपीलार्थी द्वारा प्रकरण मे जवाब दिनांक 4.6.2019 रिव्यू हेतु प्रस्तुत फार्म, चाही गई रिपोर्ट 10.1.2019, प्राप्त रिपोर्ट 25.2.2019 पूर्व रिपोर्ट दिनांक 4.11.2016 की फर्द दस्तावेज के साथ प्रमाणित प्रति पेश की गई। पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख एंव दस्तावेज के अवलोकन से अपीलार्थी को प्रकरण 67/90 धारा 332, 353 आईपीसी मे माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 9.11.92 को एक वर्ष के लिये नेकचलन हेतु दो हाजार रूपये के जमानत मुचलको पर छोडा/दण्डित किया गया है। ऐसी स्थिति मे अपीलार्थी का आचरण संदेह से परे होना संदिग्ध हो जाता है तथा आपराधिक प्रवृति के व्यक्ति के पास लोकशंति एवं लोक सुरक्षा के मध्य शस्त्र का धारित रहना कतई उचित नही ठहराया जा सकता। प्रकरण मे प्रस्तुत दस्तावेजात के अवलोकन से अपीलार्थी सरकारी सेवामे कनिष्ठ तकनीकी सहायक के पद पर कार्यरत है। अतः अपीलार्थी को शस्त्र की कोई सद्भाविक आवश्यकता होना प्रतीत नही होता है। उक्त विवेचन अनुसार हम अधीनस्थ न्यायालय के जेरअपील आदेश कमांक 325 दिनांक 20.6.2019 मे किसी प्रकार का विधिक एवं तथ्यात्मक दोष नही पाते है। परिणाम स्वरूप उक्त विवेचन अनुसार अपील अपीलांट सारहीन/बलहीन होने से खारिज की जाती है।

7. निर्णय आज दिनांक 3.2.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर सरे ईजलास सुनाया गया।

(एल. एन. सोनी)
संभागीय आयुक्त
कोटा

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा